

अवर शिक्षा निदेशक,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

सेवा नं.

जिला शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार/देहरादून।

पत्रांक, 18-4890 मा०/ 663-65- / प्रशा० या० अनु०/2012-13 दिनांक 18/04/2012

विषय अनुमोदित प्रशासन योजना का प्रेषण।

महोदय :

उपर्युक्त विषयक आपके माध्यम से इस कार्यालय को निम्नांकित विद्यालयों को प्रशासन योजना अनुमोदित हेतु प्राप्ता हुई है। प्रशासन योजना उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2000 की धारा-29 उपधारा-5 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित कर आपको प्रेषित की जा रही है। यह प्रशासन योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और विद्यालय का प्रवन्ध इसी प्रशासन योजना के अनुसार संचालित किया जायेगा।

अतः अनुमोदित प्रशासन योजना सम्बन्धित संस्था को तत्काल उपलब्ध करवाकर परतु पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्र०

विद्यालय का नाम

सं०

1. वी०एन०डी०ए०वी० पब्लिक जू०हा० स्कूल भूपतवाला बहादुराबाद, हरिद्वार।
2. वाइए पब्लिक प्रा० स्कूल गीतानगर ऋषिकेश, देहरादून।

सलगनक : यथोपरे।

शु० दि० 18/04/2012 मा०

/प्रशा० या० अनु०/2012-13 दिनांक 18/04/2012

सम्बन्धित प्रवन्धक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।